दिल्ली विधान सभा सचिवालय समाचार भाग-2

विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी, शुक्रवार 25 फरवरी,2011/माघ 14, 1932 (शक)

संख्या-108

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की चौथी विधान समा के सातवें(बजट) सत्र का प्रारंमः माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की चौथी विधान सभा का सातवां (बजट) सत्र मंगलवार दिनांक 15 मार्च,2011 को पूर्वाहन 11.00 बजे से विधान सभा सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली में प्रारंभ होगा।

उपराज्यपाल का अभिभाषण

वर्ष का पहला सत्र होने के कारण उपराज्यपाल,दिल्ली दिनांक 15 मार्च,2011 को पूर्वाहन 11.00 बजे विधान सभा को सम्बोधित करेंगे।

सदन की बैठक उपराज्यपाल महोदय के प्रस्थान के 15 मिनट बाद सूचीबद्ध कार्यों के निपटान हेतु आयोजित की जायेगी।

सातवें सत्र के दौरान कार्य निष्पादन के लिये दिनों का आबंटनः

कार्य निष्पादन हेतु विधान सभा की बैठकें अस्थायी तौर पर 15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30 एवं 31 मार्च,2011 के लिए निर्धारित की गई है।

विधान सभा की बैठकों का समयः

दिनांक 15 मार्च,2011 को छोड़कर तबिक उपराज्यपाल पूर्वाहन 11.00 बजे विधान सभा को सम्बोधित करेंगे, जब तक कि अध्यक्ष महोदय अन्यथा निर्देश न दें, विधान सभा की बैठकें अपराह्न 2.00 बजे से प्रारंम्भ होगी और तब तक चलेगी जब तक उसे उस दिन के लिये स्थगित न कर दिया जाये।

प्रश्नों की सूचनाएं एवं बैलेटः

सातवें सत्र के लिये प्रश्नों की सूचनाए तत्काल प्रभाव से प्राप्त होगी।

सातवें सत्र के दौरान प्रश्नों का उत्तर देने के लिये दिनों का आवंटन नियम-37

मंत्रियों द्वारा सातवें सत्र में विभिन्न विभागों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने

लिए	निम्नानुसार	दिनों	को	निर्धारित	किया	गया	है	;-	
-----	-------------	-------	----	-----------	------	-----	----	----	--

क्र. सं.	विभाग	बैठक की तिथि	कॉलम—2 में दर्शाये विभागों से संबंधित प्रश्नों के नोटिस प्राप्त करने की तिथि अप.3.00 बजे तक	जाने वाले प्रश्नों की
1	2	3	4	5
1	प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा,सूचना एवं प्रोद्योगिकी,शहरी विकास,सेवाएं, सतर्कता,अनुसूचित जाति,जनजाति		03.03.2011 वृहस्पतिवार	03.03.2011 वृहस्पतिवार
	एवं अन्य पिछडा वर्ग कल्याण,प्रशासनिक सुधार,कॉमनवैत्थ गेम्स,कला एवं संस्कृति,कारागार,आबकारी,मनोरंजन,		11.3.2011 शुक्रवार	11.3.2011 शुक्रवार
2	भागीदारी, राजस्व,खाद्य अपमिश्रण, शिक्षा, गुरुद्वारा चुनाव एवं गुरुद्वारा	17.3. 2 011 वृहस्पतिवार	04.03.2011 शुक्रवार	04.03.2011 शुक्रवार
	प्रशासन,सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	25.03.2011 शुक्रवार	11.3.2011 शुक्रवार	11.3.2011 शुक्रवार
3	सामान्य प्रशासन विभाग,भूमि एवं भवन,लोक निर्माण एवं आवास,उच्च शिक्षा, पर्यावरण,वन एवं वन्य	18.03.2011 शुक्रवार 28.03.2011	04.03.2011 शुक्रवार 15.03.11	04.03.2011 शुक्रवार 15.03.11
	जीवन,पर्यटन,गृह,वित्त,व्यापार एवं कर,विधि,न्याय एवं विधायी कार्य,योजना,सूचना एवं प्रचार, जल, जन सम्पर्क	सोमवार	मंगलवार	मंगलवार
4	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,	21.03.2011 सोमवार	08.03.2011 मंगलवार	08.03. 2 011 मंगलवार
	रोजगार,परिवहन,	29.03.2011 मंगलवार	16.03.2011 बुधवार	16.03.2011 बुधवार
5.	समाज कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण,	22.03.2011 मंगलवार	09.03.2011 बुधवार	09.03.2011 बुधवार
	विकास,सहकारिता,चुनाव, श्रम	30.03. 2 011 बुधवार	17.03.2011 वृहस्पतिवार	17.03.2011 वृहस्पतिवार
6	उद्योग,ऊर्जा,खाद्य एवं सम्भरण, भाषा	23.03.2011 बुधवार	10.03.2011 वृहस्पतिवार	10.03. 2 011 वृहस्पतिवार
		31.03. 2 011 वृहस्पतिवार	18.03. 2 011 शुक्रवार	18.03.2011 शुक्रवार

टिप्पणी

1. प्रश्न सामान्यतः एक ही विभाग से संबंधित होने चाहिए (नियम-31(XXii)

2. माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि कालम 3 और 4 के अनुसार यदि विभिन्न विभागों से संबंधित किसी प्रश्न की सूचना अंतिम तिथि और समय के पश्चात प्राप्त होगी तो ऐसी सूचना अस्वीकृत मानी जायेगी। सूचनाएं प्राप्त

करने का समय अपराहन 3.00 बजे तक है।

3. जहां प्रश्न में किसी राष्ट्रीय अथवा स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित किसी समाचार का हवाला दिया जाये, वहां ऐसे प्रश्न को ग्राह्य बनाने हेतु उसके साथ संबंधित समाचारों की कतरन नत्थी करना आवश्यक है। इस तरह के जिन प्रश्नों के साथ संबंधित समाचारों की कतरनें नत्थी नहीं की जायेगी, उन्हें अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

4. प्रश्नों को संयुक्त केवल उसी स्थिति में किया जायेगा, जब एक ही तरह के विषय पर बहुत से प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त होगी। बाद में प्राप्त की गई सुचनाएं, यदि उसी विषय से संबंधित होगी तो उन्हें (नियम –31(Vii)) के

अंतर्गत अस्वीकार कर दिया जायेगा।

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे प्रश्नों पर अपनी प्राथमिकता का संकेत स्पष्टता और सफाई से दें। यदि प्राथमिकता का संकेत नहीं दिया जाता है तो प्राथमिकता का निर्णय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

प्रश्नों की बैलेटिंग सचिव, विधान सभा के कक्ष, कमरा नं. 54 में दिए गये समयानुसार की जायेगी। सभी माननीय सदस्य बैलेटिंग में सम्मिलित होने के

लिए आमंत्रित है।

7. माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि दिल्ली नगर निगम के दैनिक प्रशासन और कार्यकलापों से संबंधित सूचनाएं न दी जाएं। ऐसे प्रश्नों को नियम –31(Viii) के अंतर्गत अस्वीकार कर दिया जायेगा।

नियम 280 के अन्तर्गत विशेष उल्लेखः

जो माननीय सदस्य नियम 280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामलों को जिस दिन/तिथि को उठाना चाहते हैं, प्रस्तावित विषय की सूचना उसी दिन पूर्वाह्न 11.00 बजे तक दे सकते हैं। प्रथम 10 सूचनाओं की प्राथमिकता निधारित करने हेतु बैलेटिंग प्रत्येक दिन पूर्वाह्न 11.15 बजे सचिव, विधान सभा के कक्ष में की जायेगी। माननीय सदस्यों से बैलेटिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अनुरोध किया जाता है।

माननीय सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे विशेष उल्लेख के पाठ को केवल 8–10 लाइनों तक ही सीमित रखें और सदन में उस विषय को उठाते समय केवल मूल पाठ ही पढें। विषय केवल एक ही विभाग एवं एक मुद्दे से संबंधित होना चाहिए। विधान सभा सचिवालय संबंधित विभाग को प्रायः उल्लेख के पाठ को ही अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजता है।

गैर सरकारी सदस्यों का कार्यः

शुक्रवार 18 मार्च,2011 एवं 25 मार्च,2011 को होने वाली सदन की बैठकों की तिथियां गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों के लिए आवंटित की गयी है। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों की सूचनाएं प्राप्त करने की अंतिम तिथियां इस प्रकार है:-

क्र.सं	गैर सरकारी दिवस	सूचना प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	बैलेटिंग का समय	स्थान
1.	18.03.2011	04 मार्च,2011	अप.4.30 बजे	सचिव,विधान सभा का कक्ष
2.	25.03.2011	11 मार्च, 2011	अप.4.30 बजे	सचिव,विधान सभा का कक्ष

माननीय सदस्यों का बैलेटिंग में भाग लेने के लिए स्वागत है।

नोटिसों की प्रक्रिया

- क माननीय सदस्यों का ध्यान दिल्ली विधान सभा की प्रक्रिया एवं संचालन नियम 258 की ओर आकर्षित किया जाता है, जो इस प्रकार है:—
- 1. नियमों द्वारा अपेक्षित प्रत्येक सूचना लिखित रूप में सचिव को सम्बोधित करते हुए दी जायेगी और सूचना देने वाले सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी जिसमें उसकी विभाजन संख्या भी दर्शायी जायेगी तथा कार्यालय में ही दी जायेगी जो इस प्रयोजन के लिये शनिवार, रविवार या सार्वजनिक छुट्टी के दिनों को छोडकर प्रत्येक दिन समय पर अधिसूचित किये जाने वाले समय के लिये खुला रहेगा।
- 2. क. सूचना कार्यालय में उप-नियम 1 के अंतर्गत अधिसूचित समय के बाद प्राप्त हुई सूचनाएं अगले कार्य दिवस के लिये दी समझी जायेगी।
 - ख नोटिस देने वाले माननीय सदस्य को प्रत्येक सूचना पर मत विभाजन संख्या अंकित करते हुए बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखकर स्याही से हस्ताक्षार करने चाहिए और उसे विधान सभा के नोटिस कार्यालय कमरा नंबर 46 में जमा करना चाहिए।
 - ग विधान सभा के नोटिस कार्यालय में दिये गये सभी नोटिसों पर तिथि की मुहर और नोटिस प्राप्त करने का समय भी अंकित किया जाता है।
 - घ विधान सभा का नोटिस कार्यालय ही माननीय सदस्यों की सूचनाओं को बिना विलम्ब किये सम्बद्ध शाखाओं/अधिकारियों तक प्रेषित करने के लिए उत्तरदायी है। अतएव, माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सूचनाएं न तो सदन पटल पर रखें और न ही विधान सभा के किसी अन्य

अधिकारी / शाखा को दें यदि कोई सदस्य ऐसा करता है तो उनके द्वारा दिये गये नोटिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जायेगा। विधान सभा नोटिस कार्यालय द्वारा नोटिसों को प्राप्त करने के लिए विनिर्दिष्ट समय उनके लिए उल्लिखित तिथियों को प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे के बीच है। माननीय सदस्यों की सुविधा हेतु नोटिस ऑफिस, कार्यालय समय के दौरान खुला रहेगा।

दर्शक दीर्घा प्रवेश पत्र

माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार दर्शक दीर्घा के प्रवेश पत्र जारी करने के आवेदन-पत्र जिस दिन के लिए प्रवेश पत्र चाहिए, उस दिन से पूर्व एक कार्य दिवस को अपराहन 5.00 बजे तक अवश्य प्रस्तुत किये जायें। उदाहरणार्थ 15 मार्च,2011 को होने वाली सदन की बैठक के लिए दर्शक दीर्घा के लिये आवेदन पत्र पूर्व कार्यदिवस अर्थात 14 मार्च,2011 को अपराह्न 5.00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगें। इसी प्रकार अनुवर्ती तिथियों के दीर्घा प्रवेश पत्रों के लिये आवेदन पत्रों पर कार्यवाही की जायेगी और वे इसी प्रकार से स्वीकार किये जाएंगें।

दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए सीमित स्थान होने के कारण एक सदस्य को प्रत्येक बैठक के लिए दो से अधिक प्रवेश पत्र जारी नहीं कियें जायेगें। दर्शक दीर्घा के लिए प्रवेश पत्र सामान्यतः उसी दिन जारी नहीं किये जायेगें।

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे केवल उन्ही दर्शकों की सिफारिश करें जिनके चरित्र के बारे में वे भलीं भांति जानते हैं।

टिप्पणी:

कृपया मोबाइल फोन आदि सदन के बाहर ही रखें। यदि किसी कारणवश सदन में ले आये हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि सदन में उनका स्विच बंद रहें।

> पी.एन.मिश्रा सचिव

सातवां सत्र बैठकों का अस्थायी तिथि—पत्र

क.स.	बैठक की तिथि	दिन	कार्य
1.	15 मार्च,2011	मंगलवार	उपराज्यपाल का अभिभाषण
2	16 मार्च,2011	बुधवार	धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा
3.	17 मार्च,2011	बृहस्पतिवार	धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा
4.	18 मार्च,2011	शुकवार	गैर सरकारी सदस्यों का कार्य
	19 मार्च,2011	शनिवार	अवकाश
	20 मार्च,2011	रविवार	अवकाश
5.	21 मार्च,2011	सोमवार	धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं पारित करना
6.	22 मार्च,2011	मंगलवार	बजट-2011-12 का प्रस्तुतीकरण
7.	23 मार्च,2011	बुधवार	बजट पर चर्चा
8	24 मार्च,2011	बृहस्पतिवार	बजट पर चर्चा
9	25 मार्च,2011	शुकवार	गैर सरकारी सदस्यों का कार्य
	26 मार्च,2011	शनिवार	अवकाश
	27 मार्च,2011	रविवार	अवकाश
10	28 मार्च,2011	सोमवार	बजट पर चर्चा एवं पारित करना
11	29 मार्च,2011	मंगलवार	सरकारी कार्य
12	30 मार्च,2011	बुधवार	सरकारी कार्य
13	31 मार्च,2011	बृहस्पतिवार	सरकारी कार्य

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative & other matters) Friday, 25th February, 2011/13 Phalgun 1931 (Saka)

No. 108

COMMENCEMENT OF THE SEVENTH SESSION (BUDGET SESSION) OF THE FOURTH LEGISLATIVE ASSEMBLY OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI:

Hon'ble Members are informed that the Seventh (Budget Session) of the Fourth Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi will commence on Tuesday, the 15th March 2011 at 11.00 AM in the Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi.

LT. GOVERNOR'S ADDRESS:

Being the first session of the year, Hon'ble Lt. Governor shall address the Assembly on 15th March 2011 at 11 AM. Hon'ble Members are requested to kindly be in their seat by 10.50 AM.

Ten minutes after Hon'ble Lt. Governor's departure, the duly constituted sitting of the House shall take place to transact the listed business.

ALLOTMENT OF THE DAYS FOR THE TRANSACTION OF BUSINESS DURING FOURTH SESSION:

The sitting of the Legislative Assembly for the transaction of business have been tentatively fixed for 15,16,17, 18, 21, 22, 23, 24,25, 28, 29, 30th & 31st March, 2011.

TIME OF SITTING:

Except on 15th March 2011 when the Lt. Governor shall address the Members at 11.00 A.M. the sitting of the Legislative Assembly shall commence at 2.00 P.M. and continue till it is adjourned for the day.

NOTICE OF QUESTIONS:

Notices of questions for the Seventh Session will be received with immediate effect.

ALLOTMENT OF DAYS FOR ANSWERING QUESTIONS DURING THE SEVENTH SESSION (RULE 37):

For the Seventh Session (Budget Session), the days for answering questions by Ministers in respect of various Departments have been arranged so far under:

SI. No.	Group of Departments	Date of Sitting	Last date for receipt of questions for the Department in col. 2 (Up to 3.00 PM)	Date of holding ballot for determination of priority for oral questions (At 5.00 PM)
1	2	3	. 4	5
	Training & Technical Education, Information & Technology, Urban Development, Services, Vigilance, Welfare of SC/ST	16 th Mar. 11 Wednesday 24 th Mar. 11 Thursday	3 rd Mar. 11 Thursday 11 th Mar. 11 Friday	3 rd Mar. 11 Thursday 11 th Mar. 10 Friday
	& OBCs, Administrative Reforms, Commonwealth Games, Art & Culture, Jail, Excise, Entertainment, Bhagidari			
2	Revenue, Prevention of Food	17 th Mar. 11	4th Mar. 11	4th Mar. 11
	Adulteration, Education,	Thursday	Friday	Friday
	Gurudwara Elections, Irrigation & Flood Control	25 th Mar. 11 Friday	11 th Mar. 11 Friday	11 th Mar. 11 Friday
3	General Administration Deptt.(GAD), Land &	18 th Mar. 11 Friday	4 th Mar. 11 Friday	4 th Mar. 11 Friday
	Building, PWD & Housing, Higher Education, Environment, Forest & Wild Life, Tourism, Home, Finance, Trade & Taxes, Law, Justice & Legislative Affairs, Planning, Information & Publicity, Water, Public Relations	28 th Mar. 11 Monday	15 th Mar. 11 Tuesday	15 th Mar. 11 Tuesday
4	Medical & Public Health, Health & Family Welfare,	21 st Mar. 11 Monday	8 th Mar. 11 Tuesday	8 th Mar. 11 Tuesday
	Employment, Transport	29 th Mar.11 Tuesday	16 th Mar. 11 Wednesday	16 th Mar. 11 Wednesday
5	Social Welfare, Women & Child Welfare, Development, Cooperative,	22 nd Mar. 11 Tuesday 30 th Mar. 11	9 th Mar. 11 Wednesday 17 th Mar.1 1	9 th Mar. 11 Wednesday 17 th Mar.11
	Elections, Labour	Wednesday	Thursday	Thursday
6	Industry, Power, Food & Civil Supplies, Languages,	23 rd Mar. 11 Wednesday	10 th Mar. 11 Thursday	10 th Mar. 11 Thursday

Note:

1. The question should primarily relate to one Department only {(Rule 31 (xxii)}.

2. Hon'ble Members may kindly note that if notice of question is received after the last date and time in respect of various departments vide col. No. 3 and 4, such a notice shall stand disallowed. The time for receipt of notices shall be upto 3.00 P.M. on the last date of receipt of questions for departments as shown in column 4 above.

3. Where the questions draw a reference to a news item published in a national or local daily, the question in order to be admissible must be accompanied by the relevant clipping of the news items. The questions not accompanied by relevant clippings are likely to be

disallowed.

4. The clubbing of questions will be done in case several notices of question on the same subject matter are received. Notices or questions subsequently received and repeating in substances the same subject-matters are liable to be disallowed {(Rule 31(vii)}.

5. Hon'ble Members are requested to indicate clearly and legibly their priority in respect of questions. If no priority is indicated, the same will be decided according to the Rules.

6. Ballot will be held in the room of the Secretary (Room No.-54) as per schedule indicated

Hon'ble Members are welcome to participate in the balloting.

7. Hon's ble Members May kindly note that notices of questions relating to day-to-day administration and functioning of Municipal Corporation of Delhi may not be entertained. The same are liable to be disallowed under Rule 31(xiii).

SPECIAL MENTIONS UNDER RULE 280:

Hon'ble Members who want to raise matters under Rule 280 may give notice of the same by 11.00 A.M on the date the matter is proposed to be raised. Balloting for fixing inter-se priority for the first 10 notices will be held in the room of the Secretary at 11.15 AM on each day. Hon'ble Members are requested to participate in the balloting.

Hon'ble Members are requested to confine the text of the Special Mention to 8-10 lines only and not to deviate from the original text while raising the same on the floor of the House. The matter should relate to only one Department and raise only one issue.

PRIVATE MEMBER'S BUSINESS:

The sittings of the House to be held on Friday the 18th March 2011 and 25th March 2011 have been allotted for Private Members Business.

The Schedule of the Private Members Business is as under:

Sl.No.	Private Members Day	Last date and time for receiving notices		of Place
1.	18.03.2011	4.03.2011 upto3.00 PM	4.30 PM	Chamber of the Secretary (LA)
2.	25.03.2011	11.03.2011 Up to 3.00 PM	4.30 PM	Chamber of the Secretary (LA)

Hon'ble Members are welcome to participate in balloting.

PROCEDURE OF NOTICES:

(a) Kind attention of the members is invited to Rule 258 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly, which reads as follows:

(ii) Every notice required by the rules shall be given in writing addressed to the Secretary and signed by the member giving notice, also indicating his division number, and shall be delivered in the Notice Officer between such hours as notified from time to time, on every day except Saturdays, Sundays and public holidays.

i) A notice received in the Notice Office after the hours other than those

specified in sub-rule (1) shall be treated as given on the next working day.

(b) Every notice should be signed in ink by the Member giving the notice, indicating his division number and name in Capital letters and should be deposited only in the Assembly Notice Office. THE NOTICE OFFICE IS LOCATED IN ROOM NO. 46

(c) All notice delivered in the Assembly Notice Office are date-stamped and the time of receipt is

also indicated thereon.

(d) As the Assembly Notice Office is alone responsible for transmission of the notices to the Branches/Officers concerned without delay, Members are, therefore, requested not to deposit their notices either at the Table of the House or with any other Officer/Branch of the Assembly Secretariat. If any Members do so, it is not likely to be taken note of.

e) The Assembly Notice Office shall remain open during office hours.

VISITOR'S GALLERY:

As per direction of Hon'ble Speaker, Application forms for the issue of visitors' gallery passes must be submitted by 5.00 P.M. on the working day previous to the date for which the gallery passes are required. For example, application for the gallery passes meant for sitting of the House on 15.03.2011 will be accepted up to 5.00 PM on the earlier working day i.e, 14.03. 2011. Similarly, an application for gallery passes for the subsequent dates would be processed and issued in the like manner.

The seating capacity in the visitors' gallery being limited, not more than two passes shall ordinarily be issued to a member for each sitting. No admission cards for the Visitors Gallery will ordinarily be issued on the same day.

Members are requested to recommend issue of gallery pass only for those visitors whose antecedents are well known to them.

NOTE:- HON'BLE MEMBERS MAY KINDLY ENSURE THAT CELLULAR PHONES, PAGERS OR OTHER ELECTRONIC GADGETS ETC ARE KEPT OUTSIDE THE HOUSE.

P.N.MISHRA Secretary

Seventh (Budget) Session Provisional Calendar of Sittings

Sitting	Date	Day	Business
1.	15 th March, 11	Tuesday	Lieutenant Governor's Address
2.	16 th March, 11	Wednesday	Government Business
3.	17 th March, 11	Thursday	Government Business
4.	18 th March, 11	Friday	Private Members Day
	19 th March, 11	Saturday	Holiday
	20 th March,11	Sunday	Holiday
5.	21 st March, 11	Monday	Government Business
6.	22 nd March,11	Tuesday	Government Business
7.	23 rd March, 11	Wednesday	Government Business
8.	24 th March, 11	Thursday	Government Business
9.	25 th March, 11	Friday	Private Members Day
	26 th March, 11	Saturday	Holiday
	27 th March,11	Sunday	Holiday
10.	28 th March, 11	Monday	Government Business
11.	29 th March, 11	Tuesday	Government Business
12.	30 th March,11	Wednesday	Government Business
13.	31 st March, 11	Thursday	Government Business